Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

L.D. Case No.- 197/2024

**Bibi Yebun Nisha ....................................................Appellant/Petitioner.**

**Versus**

**The State of Bihar & Ors.…................................................Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **08.8.2025** | (see order below) | |

**08.8.2025**

## आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा बेदखली वाद सं0-24/2023-24 में दिनांक-08.1.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

| अंचल | मौजा/ थाना नं0 | खाता | खेसरा | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| पूर्णिया पूर्व | रजीगंज/67 | 693 | 1755 | 32डी0 |

दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/ Rejoinder में अंकित है। उभयपक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन उन्हें अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व के बंदोबस्ती वाद 09/1970-71 से दिनांक-03.8.1970 को प्राप्त हुआ है। जबकि विपक्षीगण का दावा है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वज को बंदोबस्ती वाद सं0-21/1970-71 से प्राप्त है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति परिलक्षित है कि उभय पक्ष द्वारा प्रश्नगत जमीन को विभिन्न बन्दोबस्ती वाद द्वारा प्राप्त करने के आधार पर दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें बन्दोबस्ती वाद संख्या -9/70-71 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का बन्दोबस्ती परवाना प्राप्त है। जबकि विपक्षी का कहना है कि उनके पिता को प्रश्नगत जमीन बन्दोबस्ती वाद संख्या-21/70-71 से प्राप्त है। कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी दोनों पक्ष के नाम से कायम है। सुनवाई में विपक्षी की ओर से मतदाता सूची तथा अपीलार्थी का आधार कार्ड दाखिल करते हुए इस तथ्य का दावा किया जा रहा है कि अपीलार्थी बन्दोबस्ती की तिथि (03.8.1970) को नाबालिग थी। तथा विधिमान्य रूप से किसी नाबालिग को सरकारी बन्दोबस्ती नहीं हो सकती है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के उपरोक्त अभिकथन एवं साक्ष्य को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर अपीलार्थी का बन्दोबस्ती परवाना विधिमान्य नहीं माना जा सकता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया